रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1977 (वैशाख 3, 1899)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977 (VAISAKHA 3, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 5 मार्च 1977 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned Gazette(s) of India Extraordinary were published up to the 5th March, 1977

अंक Issue No	संख्या और तिथि No and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
39	सं० आर० एस० 1/1/77-एल० दिनांक 4 मार्च 1977	राज्य सभा सचिवालय	राज्य सभा का सत्रावसान करने के कार्यकारी राष्ट्रपति द्वारा आदेश ।
	No Rs 1/1/77-L, dated the 4th March, 1977	Rajya Sabha Secretariat	Acting President's Order to prorogue the Rajya Sabha
40	सं० 15 आई० टी० सी० (पी०एन०)/77, दिनांक 4 मार्च, 1977 ।	वाणिज्य मंत्रालय	घड़ी के पुर्जों के लिए आयात नीति का उदारीकरण लाईसेंस अवधि अप्रैल 1976 मार्च, 1977 के लिए आयात नीति ।
	No 15-ITC (PN)/77 dated the 4th March, 1977	Ministry of Commerce	Liberalisation of Import policy for watch parts Import Policy for the Licensing period April, 1976 March, 1977
41	सं० 16 आई० टी० सी० (पी० एन०)/77, दिनांक 5 मार्च 1977 ।	——वही——	एक्रिलिक मानोमर का आयात खुला सामान्य लाइसेंस सं० 107 दिनांक 31-12-76
	No 16-ITC(PN)/77, dated the 5th March, 1977	Do	Import of Acrylic Monomer O G L No CVII dated 31-12-1976

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम माँग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । माँग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil lines, Delhi Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	389
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	531
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	451
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1427
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1411
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	197
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1841
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	373
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	33
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1115
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	75

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	389
PART I—SECTION 2.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . .	351
PART I—SECTION 3—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions Leave etc of Officers issued by the Ministry of Defence	45
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of Select Committees on Bills ..	—
PART II—SECTION 3—SUB SEC (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1427
PART II—SECTION 3.—SUB SEC (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1411
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	197
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1841
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	373
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .	33
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1115
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	75

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिभिन्न नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल, 1977

सं० 39-प्रेज/77—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जय भगवान,

कांस्टेबल सं० 670070701,

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

26 नवम्बर, 1975 को प्रातः लगभग 9.45 बजे 6 युवक, जो झूठे बहाने से ढाका स्थित उच्च आयुक्त के कार्यालय में घुस आए थे, भारतीय उच्च आयुक्त के प्रतीक्षा-कक्ष में प्रवेश करते ही उन पर झपटे तथा अपने पास छिपाई हुई पिस्तौलें निकाल ली। उन्होंने उच्च आयुक्त को घेर लिया तथा उन पर गोली चलाई जिससे उच्च आयुक्त और कुछ आक्रमणकारी जमीन पर गिर गये। सुरक्षा गार्ड जय भगवान, जो उस समय ड्यूटी पर थे निहत्थे होते हुए भी भीषण खतरे की परवाह किये बिना तुरन्त एक आक्रमणकारी से भिड़ गये। इनकी बायीं बांह पर गोली लगी किन्तु वे उसकी पिस्तौल छिनने में सफल हुए और फिर उसके साथ बन्दूकधारियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। इतने में उच्च आयुक्त के निजी सरक्षक श्री मरनाकर ने भी अपनी पिस्तौल निकाल ली और बन्दूकधारियों पर गोली चलाई। उनकी स्थानीय पुलिस ने भी मदद की। तुरन्त कार्यवाही के फलस्वरूप चार आक्रमणकारी बन्दूकधारी मारे गए तथा बाकी के दो को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार उच्च आयुक्त को मारने का उनका प्रयास विफल कर दिया गया।

इस कार्यवाही में श्री जय भगवान ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, सूझबूझ तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 नवम्बर, 1975 से दिया जायेगा।

सं० 40-प्रेज/77—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरैन मरनाकर,

हेड कांस्टेबल सं० 66700126,

सीमा सुरक्षा दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

26 नवम्बर, 1975 को प्रातः लगभग 9.45 बजे 6 युवक जो झूठे बहाने से ढाका स्थित उच्च आयुक्त के कार्यालय में घुस आए थे, भारतीय उच्चायुक्त के प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही उन पर झपटे तथा अपने पास छिपाई हुई पिस्तौलें निकाल ली। उन्होंने उच्च आयुक्त को घेर लिया और उन पर गोली चलाई जिससे उच्च आयुक्त और कुछ आक्रमणकारी जमीन पर गिर गए। सुरक्षा गार्ड जय भगवान ड्यूटी पर थे निहत्थे होते हुए भी तुरन्त एक आक्रमणकारी से भिड़ गये। वे उसकी पिस्तौल छिनने में सफल हुए और उसने बन्दूकधारियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। इतने में उच्च आयुक्त के निजी संरक्षक श्री मरनाकर ने भी अपनी पिस्तौल निकाल ली और बन्दूकधारियों पर गोली चलाई। उनकी स्थानीय पुलिस ने भी मदद की। इस द्रुत कार्यवाही के फलस्वरूप चार बन्दूकधारी मारे गए तथा दो को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार उच्च आयुक्त को मारने का उनका प्रयास विफल कर दिया गया।

इस कार्यवाही में श्री हरैन मरनाकर ने सूझबूझ, साहस, सतर्कता तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 नवम्बर, 1975 से दिया जायेगा।

सं० 41-प्रेज/77— राष्ट्रपति मिजोरम सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है —

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री हरंगडावला,

नायक,

पहली बटालियन,

मिजोरम सशस्त्र पुलिस,

मिजोरम।

श्री थाकिमा,

नायक,

पहली बटालियन,

मिजोरम सशस्त्र पुलिस,

मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

25/26 दिसम्बर, 1975 को रात को श्री हरंगडावला और श्री थाकिमा ने उस समय वीरता, साहस, दृढ़-निश्चय और अति उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया जब उन्होंने खतरे की परवाह न करते हुए विरोधियों के एक सुदृढ़ तथा सुरक्षित गोदाम से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद पकड़ लिये।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 दिसम्बर, 1975 से दिया जायेगा।

सं० 12-प्रेज/77—राष्ट्रपति मिजोरम सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री एच० लालरुआटा,
नायक
पहली बटालियन
मिजोरम सशस्त्र पुलिस
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

6 जनवरी 1976 को नायक एच० लालरुआटा के नेतृत्व में मिजोरम सशस्त्र पुलिस के दल को जिसमें लांस नायक सगजुआला कांस्टेबल लाल सावता लांस नायक टलाकिमा तथा कांस्टेबल वानलालहरुआया शामिल थे को सशस्त्र विरोधियों के एक दल का मुकाबला करने के लिए गांव साईपुई में जाने का आदेश दिया गया। 8 जनवरी 1976 को गांव में पहुंचने पर दल ने जंगल में तीन सशस्त्र विरोधियों को देखा। नायक लालरुआटा ने लांस नायक टलाकिमा तथा कांस्टेबल वानलालहरुआया को पीछे छोड़ने का निश्चय किया और वे स्वयं श्री सगजुआला और श्री लालसावता के साथ चुपके से आगे बढ़ गये ताकि विरोधियों को बीच में फांस लिया जाये। इस प्रकार उन्होंने विरोधियों को दोनों तरफ से घेर लिया। नायक लालरुआटा ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। विरोधियों ने इसका गोलियों से जवाब दिया तथा वे पीछे छोड़ गए दो कांस्टेबलों की ओर हटने लगे। उनको आता देख दोनों कांस्टेबलों ने भी गोली चलाई। इस प्रकार विरोधी दोनों ओर की गोलीबारी के बीच फंस गए और उन्हें एक खाई में मोर्चा लेना पड़ा। उनकी गोलीबारी से विचलित हुए बिना पुलिस के दोनों दल आगे बढ़े। उन्होंने विरोधियों पर आक्रमण कर दिया और उनको हथियार डालने तथा आत्म-समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उनसे तीन राइफल तथा कुछ महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए।

इस कार्यवाही में श्री एच० लालरुआटा ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी 1976 से दिया जायेगा।

सं० 43-प्रेज/77—राष्ट्रपति मिजोरम सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद
श्री सगजुआला
लांस नायक
पहली बटालियन
मिजोरम सशस्त्र पुलिस
मिजोरम।
श्री टलाकिमा
लांस नायक
पहली बटालियन
मिजोरम सशस्त्र पुलिस
मिजोरम।
श्री वानलालहरुआया
कांस्टेबल
पहली बटालियन
मिजोरम सशस्त्र पुलिस
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

6 जनवरी, 1976 को नायक एच० लालरुआटा के नेतृत्व में मिजोरम सशस्त्र पुलिस के एक दल को जिसमें लांस नायक सगजुआला, कांस्टेबल लाल सावता, लांस नायक टलाकिमा तथा कांस्टेबल वानलालहरुआया शामिल थे, सशस्त्र विरोधियों के एक दल का मुकाबला करने के लिए गांव साईपुई में जाने का आदेश दिया गया। 8 जनवरी 1976 को गांव में पहुंचने पर दल ने जंगल में तीन सशस्त्र विरोधियों को देखा। नायक लालरुआटा ने लांस नायक टलाकिमा तथा कांस्टेबल वानलाल हरुआया को पीछे छोड़ने का निश्चय किया और वे स्वयं श्री सगजुआला व श्री लालसावता के साथ चुपके से आगे बढ़ गये ताकि विरोधियों को बीच में फांसा जाये। इस प्रकार उन्होंने विरोधियों को दोनों तरफ से घेर लिया। नायक लालरुआटा ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। विरोधियों ने इसका गोलियों से जवाब दिया तथा वे पीछे छोड़ गये दो कांस्टेबलों की ओर हटने लगे। उनको आता देख दोनों कांस्टेबलों ने भी गोली चला दी। इस प्रकार विरोधी दोनों ओर की गोलीबारी के बीच फंस गए। उन्हें निराश होकर एक खाई में मोर्चा लेना पड़ा। गोलीबारी से विचलित हुए बिना पुलिस के दोनों दल आगे बढ़े तथा उन्होंने विरोधियों पर आक्रमण कर दिया और उनको हथियार डालने तथा आत्म-समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उनसे तीन राइफल तथा कुछ महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए।

इस कार्यवाही में श्री सगजुआला, श्री टलाकिमा और श्री वानलालहरुआया ने साहस, दृढ़ संकल्प तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी 1977 से दिया जायेगा।

क० बालचन्द्रन राष्ट्रपति के सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली दिनांक 30 मार्च, 1977

सं० आर० एस० 49/77 टी०—श्री राम निवास मिर्धा 30 मार्च 1977 को राज्य सभा के उप सभापति चुन लिये गए हैं।

श्री शा० मालराव महासचिव

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली दिनांक 25 मार्च 1977

संकल्प में संशोधन

सं० ई०-13016/3/75 वि० सं० प्र० (हि० वि० पु०)—इस मंत्रालय के तारीख 4 मई 1976 के समसंख्यक संकल्प का आंशिक उपान्तरण करते हुए भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई पुरस्कार स्कीम में, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कर्मचारी भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होंगे। अतः उक्त संकल्प के पैरा 3(1) में निम्नलिखित उप पैरा (xi) जोड़ दिया जाए अर्थात् :—

(xi) पुरस्कार प्रदान किए जाने संबंधी स्कीम में विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कर्मचारी भाग लेने और उसके अधीन दिए जाने वाले किसी पुरस्कार के लिए उनके द्वारा लिखित पुस्तक/पांडुलिपियां प्रस्तुत करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

उक्त संशोधन, भारत के राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

बी० एन० मित्रा उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1977

सं० यू०-13019/13/76-ए० एन० एस० (I)—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 24 अगस्त, 1972 की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं० 26/3/71-ए० एन० एस० में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति निदेश देते है कि उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 5 मे निम्नलिखित परन्तुक और अन्त स्थापित किया जाए —

'यह भी उपबन्धित किया जाता है कि जो व्यक्ति 31 मार्च, 1977 तक के लिए चुने/नामित किए गए थे उनकी सदस्यता की अवधि 30 जून, 1977 तक होगी ।"

सं० यू०-13019/13/76-ए० एन० एस० (II)—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 27 जुलाई, 1976 की अधिसूचना सं० यू०-13019/9/76-ए० एन० एल० मे आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना मे उल्लिखित अंक और शब्द "31 मार्च, 1977' को "30 जून, 1977' पढ़ा जाए ।

आर० एल० परदीप, निदेशक

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 1977

संकल्प

सं० आई० एम० ई०-26(6)/76—सरकार ने दिनांक 8 फरवरी 1977 के अपने संकल्प मे, जिसके द्वारा छोटे औजारों, कटाई करने वाले औजारों, कोट किए गए और बान्डेड एब्रासिवों और हाथ के औजारों वाले उद्योगों के विकास के लिए नामिका का गठन किया गया था, इस संकल्प की निधि मे निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय किया है —

क्र० संख्या 18 की विद्यमान प्रविष्टि —

18 श्री एस० भट्टाचार्जी,
औद्योगिक सलाहकार,
इस्पात विभाग,
नई दिल्ली ।

के स्थान पर —

18 श्री एस० आर० टाटा,
विकास अधिकारी,
इस्पात विभाग,
नई दिल्ली पढ़ें।

सी० मल्लिकार्जुनन, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th April 1977

No 39 Pres /77 —The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to undermentioned officer of the Central Reserve Police Force —

Name and rank of officer

Shri Jai Bhagwan,
Constable No 670070701,
Central Reserve Police Force

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 26th November, 1975 at about 9 45 A M , 6 youngmen who had come to the Chancery of the High Commission in Dacca under some false pretext pounced upon the High Commissioner of India as he entered the lobby and pulled out guns which they were hiding on their persons. They surrounded the High Commissioner and fired at him whereupon some of the assailants together with High Commissioner fell to the ground Security Guard Jai Bhagwan who was on duty, though unarmed, without caring for the grave danger to himself, immediately grappled with one of the miscreants. He received a bullet injury in his left leg but was able to snatch away the assailant's pistol He then started firing with it at the gunmen In the meantime Shri Sarnakar personal guard of the High Commissioner also took out his pistol and fired at the gunmen They were also aided by the local police As result of this prompt action four intruding gunmen were killed and the remaining two taken into custody and thus their attempt to kill the High Commisioner was foiled

In this incident Shri Jai Bhagwan displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, presence of mind and devotion to duty of a very high order

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th November, 1975

No 40 Pres/77 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force —

Name and rank of the officer

Shri Haren Sarnakar,
Head Constable,
No 66700126,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 26th November, 1975 at about 9 45 A M 6 youngmen who had come to the Chancery of the High Commission in Dacca under some false pretext pounced upon the High Commissioner of India as he entered the lobby and pulled out guns which they were hiding on their persons They surrounded the High Commissioner and fired at him whereupon some of the assailants together with the High Commissioner fell to the ground Security Guard Jai Bhagwan who was on duty though unarmed immediately grappled with one of the miscreants He was able to snatch the assailant's pistol and started firing with it at the gunmen In the meantime Shri Sarnakar personal guard of the High Commissioner also took out his pistol and fired at the gunmen. They were also aided by the local police. As a result of this determined action four gunmen were killed and two taken into custody and thus their attempt to kill the High Commissioner was foiled.

In this incident Shri Haren Sarnakar displayed presence of mind, courage, alertness and devotion to duty of a high order

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th November, 1975

No 41-Pres /77 —The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to undermentioned officers of the Mizoram Police —

Names and ranks of the officers

Shri Hrangdawla,
Naik,
1st Battalion,
Mizoram Armed Police,
Mizoram.

Shri Thankima,
Naik,
1st Battalion,
Mizoram Armed Police,
Mizoram

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 25th/26th December 1975, Shri Hrangdawla and Shri Thankima, exhibited courage, gallantry, determination and devotion to duty of a very high order in capturing heavy arms and ammunition from a well-guarded arms dump of the hostiles inutter disregard of the danger involved

2 These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th December, 1975

No 42-Pres/77.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to undermentioned officer of the Mizoram Armed Police —

Names and ranks of the officers

Shri H Lalruata,
Naik,
1st Battalian,
Mizoram Armed Police,
Mizoram

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 6th January, 1976, a party of Mizoram Armed Police led by Naik H Lalruata, and consisting of L/Naik Sangzuala, Constable Lalsawta, L/Naik Tlankima and Constable Vanlalhruaia was deputed to go to village Saipui to tackle a group of armed hostiles On reacting the village on the 8th January, 1976 the party noticed three armed hostiles in the jungle Naik Lalruata decided to leave Constables Tlankima and Vanlalhruaia behind and he himself moved silently forward alongwith Shri Sangzuala and Shri Lalsawta so as to entrap the hostiles They, thus surrounded the hostiles from two directions Naik Lalruata challenged them to surrender The hostiles replied by opening fire and retreated towards the two Constables left behind On seeing them approaching these two Constables also opened fire Thus, the hostiles were caught in the cross fire and had to take positions in a depression Undaunted by their fire, the two groups of police personnel moved forward and charged at the hostiles forcing them to drop their weapons and surrender Three rifles and some valuable documents were seized from them

In this action Shri H Lalruata displayed conspicuous gallantry, leadership courage and devotion to duty of a very high order

2 This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th January, 1976

No 43-Pres./77 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Mizoram Armed Police

Names and ranks of the officers

Shri Sangzuala
L/Naik,
1st Battalian
Mizoram Armed Police,
Mizoram

Shri Tlankima
L/Naik,
1st Battalian
Mizoram Armed Police,
Mizoram

Shri Vanlalhruaia
Constable,
1st Battalian,
Mizoram Armed Police,
Mizoram

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 6th January, 1976 a party of Mizoram Armed Police led by Naik H Lalruata and Consisting of L/Naik Sangzuala, constable Lalsawta, L/Naik Tlankima and Constable Vanlalhruaia was deputed to go to village Saipui to tackle a group of armed hostiles On reaching the village on the 8th January, 1976 the party noticed three armed hostiles in the jungle and observed their position Naik Lalruata decided to leave Sarvshri Tlankima and Vanlalhruaia behind and moved silently forward alongwith Shri Sangzuala and Shri Lalsawta so as to entrap the hostiles. They, thus surrounded the hostiles from the directions Naik Lalruata challenged them to surrender The hostiles replied by opening fire and retreated towards the two constables left behind On seeing them approaching these two constables also opened fire. Thus, the hostiles were caught in the cross fire and had to take position in a depression. Undaunted by their fire, the two groups of Police Personnel moved forward and charged at the hostiles forcing them to drop their weapons and surrender Three rifles and some valuable documents were seized from them.

In this action Shri Sangzuala, Shri Tlankima and Shri Vanlalhruaia displayed courage, determination and devotion to duty of a high order

2 These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 8th January, 1976

K BALACHANDRAN, Secy to the President

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 30th March 1977

No RS 49/77-T —Shri Ram Niwas Mirdha has been chosen as the Deputy Chairman of the Council of States on the 30th March, 1977

S S BHAIRAO, Secretary-General

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 25th March 1977

AMENDMENT TO RESOLUTION

No E 13016/3/75-VSP(HLB) —In partial modification of this, Ministry's Resolution of even No dated the 4th May, 1976 the Government of India have decided that the employees of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs shall not be eligible to participate in the Prize Scheme instituted by the Ministry Sub-para (xi) may therefore, be added to para 3(1) of the aforesaid Resolution which shall read as under

"(xi) The employees of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs shall not be eligible to participate and submit books/manuscripts written by them for consideration of a prize under the scheme for Award of Prizes"

The above amendment shall be effective from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India

B N MITRA, Deputy Secy

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 31st March 1977

No U-13019/13/76-ANL(I) —In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No 26/3/71-ANL, date 24th August, 1972, as amended from time to time, the President is pleased to direct that in paragraph 5 of the said Notification the following further proviso shall be inserted —

"Provided further that the term of the membership of such persons who were elected/nominated up to 31st March, 1977 shall be up to 30th June, 1977"

No U 13019 13/76-ANL(II) —In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No U-13019/9/76 ANL, dated the 27th July, 1976, the President is pleased to direct that the figures and word, "31st March, 1977" occurring in the said Notification shall be read as "30th June, 1977"

R L PRADHAN, Director

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th March 1977

RESOLUTION

No IME 26(6)/76.—The Government have decided to make the following amendment in their Resolution dated the 8th February, 1977, constituting a Panel for the development of the Small Tools, Cutting Tools, Coated and Bonded Abrasives and Hand Tools Industries with effect from the date of this Resolution

For the existing entry against S No 18	*Read*
18 Shri S Bhattacharjee, Industrial Adviser, Department of Steel, New Delhi	18 Shri S R Tata Development Officer, Department of Steel New Delhi.

C MALLIKARJUNAN, Dy Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977